



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230406
CG-DL-E-14102021-230406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3917]
No. 3917]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4264(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) (इसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) के खंड 13 के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूचीका संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अनुसूची में, क्र.सं.1 के सामने, स्तम्भ (3) में, मद 7 के पश्चात्, निम्नलिखित मद को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“8. फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12)”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 10/6/2010 ईसीबी भाग(1)]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2021

S.O. 4264(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) (hereinafter referred to as the ‘said Act’), the Central Government, hereby amends the First Schedule of the said Act, namely:

2. In the said Schedule, against Serial No.1, in column (3), after item no.7, the following item shall be inserted namely;-

“8. The Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012).”

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 10/6/2010-ECB-Part(1)]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.